न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 57/2002–03 (पुराना नं0–69/95–96)

अन्तर्गत धारा–331जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0

रामगोपाल सिंह (मृतक) वारिस अभिमन्यु सिंह गहलोत पुत्र गजेन्द्र पाल सिंह, निवासी–318, चुक्खुवाला ब्लाक–2, देहरादून।

बनाम

सरकार व आठ अन्य

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राजेश प्रकाश शर्मा।

निर्णय

यह निगरानी मूल निगरानीकर्ता रामगोपाल सिंह (मृतक एवं अब प्रतिस्थापित) द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत लम्बित प्रथम अपील संख्या–15 वर्ष 12–13 गोविन्द प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27–06–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी की संक्षेप में पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः–

मूल वादी रामगोपाल सिंह द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 बावत भूमि खसरा संख्या 1238/2 क्षेत्रफल 0.32, खसरा संख्या 1302 क्षेत्रफल 0.18 एकड़ कुल क्षेत्रफल 0.50 एकड़ के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 14–08–1987 को डिक्री किया गया; मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–6 गोविन्दराम पुत्र जीतराम द्वारा दिनांक 23–08–1988 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मूल वाद में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 14–08–1987 को निरस्त कर वाद पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर/अपर परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 12–04–1990 को अस्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त , गढ़वाल मण्डल के समक्ष एक अपील गोविन्द प्रसाद पुत्र जीतराम द्वारा प्रस्तुत की गई; अपील के विचारण की अवधि में दिनांक 18–05–1993 को अपर कलेक्टर, देहरादून के समक्ष न्यायालय, अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को सम्बोधित प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 03–05–1993 शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान अपर कलेक्टर, देहरादून ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को अग्रसारित कर दिया गया। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र में अपीलकर्ता गोविन्द प्रसाद की मृत्यु दिनांक 04–03–1993 को होना दर्शाया गया एवं उसका पुत्र राजीव डिमरी को एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होना बताया गया। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने यह प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 27–06–1995 (मूल प्रार्थना पत्र पर अंकित) के द्वारा स्वीकार किया

गया। इस आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानीकर्ता द्वारा आदेश वापसी प्रार्थना पत्र दिनांक 24–01–2006 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उसे प्रतिस्थापन की कार्यवाही में प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि नही दी गई, आपत्ति करने का अवसर नही दिया गया एवं नही सुना गया। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–05–1996 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24–01–1996 अस्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उत्तरदातागण की अनुपस्थिति में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप स्वीकार किया एवं निगरानीकर्ता को कोई सूचना इसके सम्बन्ध में नही दी गई तद्नुसार वह उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति नही प्रस्तुत कर सका, उनका यह भी कथन है कि मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में कोई मृत्यु प्रमाण–पत्र नही प्रस्तुत किया गया एवं मृतक के अन्य विधिक प्रतिनिधि भी हैं। उनका यह भी तर्क है कि आदेश–22 नियम–10क के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने की व्यवस्था है जिसका पालन नही हुआ है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र में अपीलकर्ता गोविन्द प्रसाद की मृत्यु की तिथि 04–03–1993 दर्शायी गई है जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 03–05–1993/18–05–1993 अपर कलेक्टर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अपर कलेक्टर ने अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल को अग्रसारित किया। यह सर्वविदित है कि आयुक्त एवं अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल देहरादून जनपद के मामलों को अपने शिविर न्यायलय देहरादून में सुनते एवं निस्तारित करते है तद्नुसार 18–05–1993 की तिथि को प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र का प्रस्तुतीकरण मानते हुए अथवा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा माह में एक बार शिविर न्यायालय, देहरादून में लगाये जाने के दृष्टिगत उक्त तिथि के उपरान्त प्रथम तिथि पर उनके द्वारा शिविर न्यायालय लगाने पर ही प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना माना जाये तो भी प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र परिसीमा के भीतर है। उभयपक्ष इस मध्य निरन्तर निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं यह मान भी लिया जाये कि उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति निगरानीकर्ता को नही दी गई तो भी उसे यदि आपत्ति करनी थी तो वह अवर न्यायालय से अनुरोध कर सकता था कि उसे उक्त प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाय एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय। परन्तु उसके द्वारा ऐसा किया जाना अवर न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नही है।

उसके द्वारा जो आदेश वापसी प्रार्थना पत्र दिनांक 24–01–1996 को प्रस्तुत किया गया वह अति विलम्ब से प्रस्तुत किया गया एवं उसमें स्पष्ट नही किया गया कि प्रतिस्थापन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में क्या दोष एवं त्रुटि विद्यमान है। इस स्तर पर भी

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मात्र यह कहा है कि मृतक के अन्य विधिक प्रतिनिधि भी है परन्तु ये नही कहा कि वे कौन हैं। मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने का तर्क भी विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है परन्तु क्या यह प्रस्तुत होना विधितः अनिवार्य है? मेरा मानना है कि मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत होना बाध्यकारी नही है एवं मात्र शपथयुक्त कथन पर्याप्त हैं। विशेषतः उस स्थिति में जबकि वह अप्रतिवादित है। निगरानीकर्ता ने मृत्यु की तिथि एवं विधिक प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कोई विधिमान्य खण्डन नही किया है तद्नुसार प्रतिस्थापन सम्बन्धी उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 24–01–1996 एवं वर्तमान निगरानी निस्सार (frivolous) एवं विलम्बकारी (dilatory) है।

आदेश–22 नियम–10क सिविल प्रक्रिया संहिता जिसका उल्लेख निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने किया है वह ऐसे पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु की सूचना दिये जाने विषयक है। वर्तमान प्रकरण में मृतक अपीलकर्ता की मृत्यु की सूचना उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा स्वयं दी गई है। प्रतिस्थापन प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय एवं प्रतिस्थापन की याचना करने वाले के मध्य का विषय है। विपक्षी को उसी स्थिति में सुना जाना अनिवार्य है जब प्रतिस्थापन की याचना करने वाला व्यक्ति मृत्यु की तिथि एवं विधिक प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में झूठ का सहारा ले रहा हो अथवा न्यायालय को गुमराह कर रहा हो जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को विश्वसनीय एवं विधिमान्य तथ्य प्रस्तुत करना होता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ नही है। आश्चर्य की बात है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र के लगभग दो वर्ष तक लम्बित रहने की अवधि में निगरानीकर्ता को आपत्ति करने का ध्यान नही आया एवं प्रतिस्थापन आदेश के लगभग सात माह बाद ऐसे आदेश को वापस लेने का आवेदन उसकी ओर से किया गया। स्पष्ट है मूल अपील को लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

उपर्युक्त विमर्श एवं विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है अवर न्यायालयों के अभिलेख वापस किये जाए। उभयपक्ष विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष दिनांक 12–09–2016 को उपस्थित होंगे एवं विद्वान अपर आयुक्त उनके समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण यथासम्भव तीन माह में करेंगे क्योंकि उक्त अपील 26 वर्षों से लम्बित है।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 09–08–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)